20.09.13	यह वाद ग्राम मसमोहना के खाता–37/45, खेसरा–11, रकबा–1.00 एकड़ और खेसरा संख्या–47, रकबा–0.15 एकड़, कुल रकबा–1.15 एकड़ भूमि से संबंधित है। जिसपर प्रतिवादी कैला बेदिया का जमाबंदी चल रहा है। खतियान में जमीन गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है और वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 284 दिनांक 17.02.2006 से प्राप्त सूची में अधिसूचित वन क्षेत्र बताया गया है। जमाबंदी के संबंध में प्रतिवादी कैला बेदिया को सूचना निर्गत की गई थी और उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर 2003–04, 2004–05 की एक सरकारी रसीद दी है। उसके अलावे उन्होंने कुछ अन्य रसीदें भी दी है, जो 2000–01, 2002–03 का है। एक रसीद 1961–62 से 1964–65 की है, जो 1965 में निर्गत की गई है। एक अन्य रसीद 1960 की है। राजस्व पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पतरातू, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़, अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ और अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा उपरोक्त जमाबंदी को संदोहस्पद माना गया है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी कायम करने का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जमीन के संबंध में कोई निबंधित हस्तानान्तरण दस्तावेज जमा किया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा यह संसूचित है कि उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि है। वन भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.12.1996 को रिट याचिका सिविल नं0–202/1995 एवं 171/1996 टी0एन0 गदावर्मन थीरूमुल्क पद बनाम भारत सरकार (1997) एस0सी0/78 (ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 1228) में दिये गये निर्णय महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्णित है कि "…………… the term" forest land "occurring in Section 2 will not only include 'forest' as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of ownership ……………………." जमाबंदी रद्द करने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 10.02.2009 को L.P.A. वाद संख्या–425/2006 जगदेव महतो बनाम् आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में यह नियमक दिया गया है कि अगर जमाबंदी बिल्कुल अवैध हो या किसी अभिलेख पर आधारित नहीं हो तो वैसी जमाबंदी रद्द की जा सकती है। न्यायालय का आंशिक निर्णय नीचे अंकित है : "According to us if an order is found to have been passed by an authority having no jurisdiction or when such order is found to be absolutely illegal based on the apparent error on law or facts or when it is found to be perverse not based on record then certainly in such cases jamabandi running or standing in the name of a particular person can be cancelled by a competent authority but of course after giving proper notice and opportunity of haearing to the party who would be adversely affected."

अतः उपरोक्त स्थिति में कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, रामगढ़।	उपायुक्त, रामगढ़।